

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 53/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री भगवत सिंह पिता गुलाब सिंह
राजपूत नि० जगपुरा तहसील बदनोर
जिला भीलवाड़ा

बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी


निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर के विरुद्ध दिनांक 01.06.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 35 एफ 760520 दिनांक 06.04.2017 राशि 10.00 रू० के साथ एक आवेदन प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11/04/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 09/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक /सू०अ०/2017/276-77 दिनांक 27.06.2017 वांछित सूचना तैयार कर अपने पत्रांक /भू०अ०/2017/253 दिनांक 12.05.2017 से अपीलान्त को हमदस्त दिनांक 16.05.2017 को उपलब्ध कराई गई साथ ही वर्ष 2011 से सम्बन्धित सूचना चाहे जाने से इसके लिए अपने पत्रांक/भू०अ०/2017/259-60 दिनांक 24.05.2017 से तहसीलदार आसीन्द को पत्र लिखा जिसकी प्रति भी अपीलान्त को उपलब्ध कराई गई चूंकि तहसील बदनोर वर्ष 2013 में




जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्रयोनत हुई थी। अपीलान्ट के द्वारा सूचना प्राप्त की उसमें नोट अंकित किया कि गलत सूचना दी गई।


प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर के द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई। सूचना अपीलान्ट को दिनांक 16.05.2017 को हमदस्त उपलब्ध कराई गई जिसकी पावती रसीद पत्र के साथ संलग्न है। सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई गई परन्तु निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।




(मुक्ताचंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा